

दिनांक 02.06.2026:— वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह रावत (फौजदारी) राज्य की ओर से एवं अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार, श्री कुँवर सिंह आर्य उपस्थित आये। अभियुक्त साहिल अहमद जमानत पर उपस्थित। पत्रावली आज शेष बचाव साक्ष्य हेतु नियत है। अभियुक्त अधिवक्ता की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र 79ख प्रस्तुत कर बचाव साक्ष्य हेतु समय चाहा गया। प्रार्थना पत्र की पुस्त पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से “सीन” अंकित किया गया। प्रार्थना पत्र बचाव पक्ष को अंतिम अवसर प्रदान कर आज के लिए स्वीकृत।

पत्रावली वास्ते शेष बचाव साक्ष्य दिनांक **09.06.2026** को पेश होवे।

रजनी शुक्ला,
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोटद्वार गढ़वाल।